राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक :पं.17(20)/प्राशि/आयो./जि. **हनुमानगढ**/समन्वयन/2016 दिनांक : 14/06/2016

<u>आदेश</u>

एक ही राजस्व ग्राम में अत्यन्त नजदीक एक से अधिक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के कारण विद्यालयों में पर्याप्त नामांकन उपलब्ध नहीं हो पाता हैं। जिसके कारण आर.टी.ई. मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत करने के बावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को मध्यनजर रखते हुए कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उसी राजस्व ग्राम के निकटतम अन्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर को प्रेषित किए गए। समन्वयन के प्रस्तावों की जांच एवं परीक्षण हेतु आयुक्त,सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावों की आर.टी.ई. मापदण्डों के अन्तर्गत जॉच उपरान्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समन्वयन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए।

विभाग द्वारा परीक्षण उपरान्त स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिला **हनुमानगढ** के कम नामांकन वाले कॉलम संख्या 5 में वर्णित विद्यालय को कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालय में समन्वित किए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

जिला – **हनुमानगढ**

ग्रामीण क्षेत्र

जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	विद्यालय का नाम जिसे समन्वित किया जाना हैं।	विद्यालय का नाम जिसमें कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का समन्वित किया जाना हैं।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
हनुमानगढ	रावतसर	4डीडब्लूएम	5डीडब्लूएम	राप्रावि 5डीडब्लूएम	राउप्रावि 8एनडब्लूडी	
हनुमानगढ	भादरा	भरवाना	2डीपीएन	राप्रावि भरवाना	राबाउप्रावि भरवाना	
हनुमानगढ	हनुमानगढ	अराईयावाली	24एनडीआर	राप्रावि 24एनडीआर	राप्रावि 27 एनडीआर	
हनुमानगढ	हनुमानगढ	चौहिलावाली	वार्ड न 10चौहिलावाली	राप्रावि वार्ड 10चौहिलावाली	राप्रावि 26 एनडीआर ए	
हनुमानगढ	पीलीबंगा	18एसपीडी	7एसटीबी	राप्रावि 7एसटीबी	राउप्रावि लबाना की ढाणी	
हनुमानगढ	संगरिया	किषनपुरा उतरादा	15पीटीपी	राप्रावि 15पीटीपी	राबाउप्रावि किषनपुरा उतरादा	

हनुमानगढ	हनुमानगढ	अराईयावाली	30एनडीआर	राप्रावि 30एनडीआर	राउप्रावि 28एनडीआर	
हनुमानगढ	हनुमानगढ	लखुवाली	2एलके	राप्रावि 2एलके	राउप्रावि 3एलके	
हनुमानगढ	हनुमानगढ	लखुवाली	12आरपी	राप्रावि 12आरपी	राउप्रावि 3एलके	
हनुमानगढ	हनुमानगढ	लखुवाली	2केडब्लूएम	राप्रावि 2केडब्लूएम	राप्रावि 3केडब्लूएम	
हनुमानगढ	टीबी	मिर्जावालीमेर	13एजी	राप्रावि 13एजी	राउप्रावि 2एमजेडडब्लू	

शहरी क्षेत्र

जिले का नाम	ब्लॉक	नगर पालिका/नगर निगम	वार्ड नं.	विद्यालय का नाम जिसे समन्वित किया जाना हैं।	विद्यालय का नाम जिसमें कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का समन्वित किया जाना हैं।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
हनुमागनढ	हनुमानगढ	नगरपालिका	नगरपालिका	राप्रावि वार्ड 30 हनुमानगढ़ टाउन	राउप्रावि मुखर्जीनगर हनुमानगढ टाउन	
हनुमागनढ	भादरा	नगरपालिका	नगरपालिका	राप्रावि गोदावरी वाटिका	रा उ प्रा वि भादरा न 2	

उक्त समन्वयन निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा :–

1. समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के राजकीय विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा तथा समस्त कक्षाऐं कॉलम संख्या 6 के समन्वित विद्यालय के अधीन संचालित की जायेगी।

2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के द्वारा एकीकरण के पश्चात स्थापित समन्वित विद्यालय की विद्यार्थी संख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक पदों के मानदण्डों के निर्धारण हेतु जारी दिशा–निर्देश क्रमांक प.5(8)प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016 के अनुसार पदो का पुनः निर्धारण किया जायेगा एवं स्वीकृत पदों के आधार पर अधिशेष होने वाले शिक्षकों को अन्य विद्यालयों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।

3. एकीकरण के पश्चात् स्थापित होने वाले कॉलम संख्या 6 के विद्यालय को समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के विद्यालय की समस्त स्थाई एवं अस्थाई परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण स्वतः ही हो जायेगा। एकीकरण से स्थापित समन्वित विद्यालय द्वारा कक्षाओं के संचालन में समस्त भवन परिसरों का आवश्यकतानुसार समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। समुचित उपयोग पश्चात रिक्त रहने वाले परिसर का उपयोग निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।